न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष स0–5, मुरादाबाद

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एम0ओ0–04048611 / 22

जमानत प्रार्थना पत्र सं0– / 2022

जमानत आदेश

19.07.2022

अ0सं0 127 / 19 धारा–452,323,325,504 भा0दं0सं0 थाना मूढापाण्डे, जिला मुरादाबाद मे प्रार्थीगण रजत एवं रिषभ की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को रंजिश के आधार पर झूठा फसाया गया है। प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की है और न ही कोई जानमाल की धमकी दी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी एक पढे लिखे परिवार से है तथा प्रार्थी रजत वर्तमान में गुरूकुल आईटीआई कैम्पस रामपुर रोड, मुरादाबाद में आईटीआई की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाई गयी घटना दिनांक 20.03.2019 की घटना कतई गलत है। मनगढत है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी होली पर्व पर होली बढाने हेतु वादी मुकदमा के घर के पास बने पशुओ के घेर से लकडी ले रहे थे जिनको देख वादी मुकदमा स्वयं प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने लगा तथा गाली देने को मना करने पर प्रार्थी के साथ अपने पुत्र को बुलवा कर मारपीट करने लगा। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह सरासर झूठा है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना एवं पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के घर में घुसकर रखी लकडिया उठाकर जलाने एवं रात को करीब 11 बजे घर में घुसकर मारपीट कर चोटें कारित करने, गाली गलौच करने का आरोप है। अपराध गैर जमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है। मामलें के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण रजत एवं रिषभ का जमानत प्रार्थनापत्र अ0सं0 127 / 19 धारा–452,323,325,504 भा0दं0सं0 थाना मूढापाण्डे, जिला मुरादाबाद खारिज किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0 5, मुरादाबाद।